बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

का0आ0सं0–11/टी0बी0(कोर्ट)–28/2017–..................(11)/ पटना, दिनांक– / /2019

माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-10298/2017 सत्येन्द्र चौधरी @ सत्येन्द्र कुमार चौधरी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में याचिकाकर्ता के द्वारा अपने पूर्व की कार्यवधि को पेंशन प्रदायी मानने, प्रथम नियुक्ति की तिथि से नियुक्ति का तिथि का निर्धारण तथा पूर्व की कार्यवधि की गणना ए0सी0पी0 में करने हेतु उक्त याचिका दायर की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–16.04.2018 को उक्त न्यायादेश को निष्पादित करते हुए प्रतिवादी संख्या–3 (सिविल सर्जन, पूर्णिया) को आवेदक के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक मुखर एवं सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत निर्णय लेते हुए प्रतिवादी संख्या–3 के द्वारा ज्ञापांक–2011, दिनांक–02.08.2018 के द्वारा एक सकारण आदेश पारित किया गया। पूर्व की कार्यवधि की गणना ए0सी0पी0 में किये जाने संबंधी तथ्य ए0सी0पी0 नियमावली के विपरीत पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि आवेदक के द्वारा अपनी पूर्व की कार्यवधि की गणना ए0सी0पी0 लाभ हेतु किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि ए0सी0पी0 की लाभ हेतु लगातार सेवा आवश्यक होता है। इस तथ्य के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेश में स्पष्ट रूप से निदेशित है कि :–*"In the event of selection and appointment of erstwhile daily-rated employee or employees, who were inducted by Dr. Mallick the entire proved period during which they had worked as daily-wager and/or confirmed employees will be computed for the purpose of pensionary and other retiral benefits but they will not be entitled to claim and inter se higher seniority in the selection made by the committee or for any promotion on the basis of their previous service."*

स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निदेश में ए0सी0पी0 का लाभ अर्न्तनिहित नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री चौधरी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1987 में तत्कालीन उपनिदेशक, (यक्ष्मा) डा0 ए0ए0 मल्लिक द्वारा की गई थी। डा0 ए0ए0 मल्लिक द्वारा की सभी नियुक्तियों को अवैध होने के कारण विभागीय ज्ञापांक–528(11), दिनांक–30.04.1993 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या–10758–59/1995, अश्विनी कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.12.1996 को पारित न्यायादेश में सहीं ठहराया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में विज्ञापन संख्या–01/97 के अन्तर्गत श्री चौधरी की नई एवं वैध नियुक्ति यक्ष्मा सहायक के पद पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक–1174(11) दिनांक–26.11.2005 के द्वारा की गई। अर्थात वर्ष 1993 में सेवा समाप्ति के पश्चात वर्ष 2005 में श्री चौधरी की नई नियुक्ति की गई। अतः ए0सी0पी0 नियमावली में निहित प्रावधान के अन्तर्गत लगातार सेवा नहीं होने के कारण दिनांक–29.08.1986 से दिनांक–30.04.1993 तक की अवधि की गणना ए0सी0पी0 हेतु योग्य नहीं है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में पूर्व की सेवा की गणना पेंशन में की जा सकेगी।

पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या–1093, दिनांक–20.11.2018 के आलोक में वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया

गया, तथा दिनांक–09.04.2019 की कार्यवाही में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की अनुशंसा प्राप्त की गई।

तदालोक में श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, सेवानिवृत यक्ष्मा सहायक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्णिया को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही समादेश याचिका संख्या–20654/2010 में दिनांक–11.02.2016 को पारित न्यायादेश एवं समादेश याचिका संख्या–11848/2016 ललन राम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एनालोगस वादों में दिनांक–11.09.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में मामला समरूप होने के कारण याचिकाकर्ता श्री चौधरी को यक्ष्मा सहायकों के पद पर नियुक्ति की प्रथम तिथि 24.12.2001 के आधार पर ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

ह0/–

विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/टी0बी0(कोर्ट)–28/2017– 494 (11)/ **पटना, दिनांक**– 12/6 /2019

प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,(यक्ष्मा), अगमकुऑ, पटना/सिविल सर्जन,/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला यक्ष्मा पदाधिकारी/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,/ कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री सत्येन्द्र चौधरी, सेवानिवृत, यक्ष्मा सहायक, पिता–श्री त्रिवेणी चौधरी, ग्रा0–हरौली, पो0–सतीघाट, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\Aadesh..docx